अनुबंध अ

(अनुसूची 1 का पैराग्राफ 2 देखें)

(अ) निम्नलिखित परिस्थितियों में सभी कार्यकलापों/क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी ।

I. जहाँ भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट 1(2005 श्रंखला) के प्रावधान आरोप्यणीय हों ।

II. जहाँ 24% से अधिक की विदेशी ईक्विटी, लघु उद्योग इकाई क्षेत्र में आरक्षित मदों के विनिमार्ण के लिए प्रस्तावित हो।

(आ) विदेशी निवेश के लिए निषिध्द क्षेत्र

I. खुदरा व्यापार

II. परमाणु ऊर्जा

III. लॉटरी कारोबार

IV. जुआ और सट्टेबाजी

V. चिट फंड कारोबार

VI. निधि कंपनी, अथवा

VII. अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) के व्यापार में

VIII. कार्यकलापों / क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश की अनुमति नहीं हैं

अनुबंध आ

(अनुसूची 1 का पैराग्राफ 2 देखें)

विदेशी निवेश के लिए विशिष्ट-क्षेत्र नीति

विदेशी निवेश के लिए निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों में अन्य यथानिर्दिष्ट शर्तों के अधीन नीचे उल्लिखित सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों में जिनका उल्लेख नहीं है, उन्हें स्वत:अनुमोदित मार्ग से नीचे उल्लिखित लागू क्षेत्रीय सेक्टोरल नियमों/विनियमों शर्तों के अधीन 100% सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

क्रमांक	क्षेत्र/कार्यकलाप	एफडीआई कैप/ इक्विटी	प्रवेश माग	अन्य शर्तें
	कृषि			
1.	पुष्प-कृषि, बागवानी,बीज विकास, पशुपालन , मत्स्यपालन, जलीय जंतु पालन , नियंत्रित परिस्थितियों में सब्जियों	100%	**स्वत:अनुमोदित मार्ग**	-

	और मशरूम उगाना तथा कृषि और उससे सम्बद्ध सेवाएं पाद टिप्पणी: उपर्युक्त को छोड़कर अन्य कृषि क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।			
2	**बागानी समेत चाय क्षेत्र** **पाद टिप्पणी: उपर्युक्त को छोड़कर बागानी के अन्य क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।** **उद्योग** **खनन**	100%	**एफआईपीबी**	भारतीय साझेदार/ जनता के पक्ष में पांच वर्ष के भीतर इक्विटी का 26 % विनिवेश और भविष्य में जमीन के उपयोग हेतु संबंधित राज्य की अनुम्ति के अधीन ध
3.	**खनन इसके अतर्गत हीरे जवाहरात और बेशकीमती पत्थर, सोना , चांदी और खनिजों की खोज और खनन आता है ।**	100%	**स्वत:अनुमोदित मार्ग**	खान और खनिज(विकास और विनियमन)अधिनियम 1957 के अधीन जहाँ तक खनन क्षेत्र का संबंध है वहाँ 100 प्रतिशत कंपनियां स्थापित करने के लिए नोट 18 (1998) तथा प्रेस नोट 1(2005)लागू नहीं होगी बशर्ते कि आवेदक से इस आशय का घोषणापत्र प्राप्त हो कि उनके पास उसी क्षेत्र और/ अथवा विशिष्ट खनिज के लिए वर्तमान में संयुक्त उद्यम नहीं है। (www.mines.nic.in)
4.	कोयला और लिग्नाइट कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन ?ारतीय निजी कंपनियां जो सीमित उप?ाटग के लिए पॉवर परियोजनाएं और कोयले अथवा लिग्नाइट की परियोजनाएं लगा रही हैं अथवा उनका कार्य-संचालन कर रही हैं ।	100%	**स्वत:अनुमोदित मार्ग**	**कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,1973 के अधीन** (www.coal.nic.in)
5.	खनन और खनिज खनिज और अयस्क लगे टिटैनियम को और उसे उत्कृष्ट बनाने तथा एकीकरण	**100 प्रतिशत**	**एफआईपीबी**	क्षेत्रीय विनियम और खनन तथा खनिज (विकास और विनियमन)अधिनियम,1957 तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन

	संबंधी कार्यकलाप भारत सरकार , परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18 जनवरी 2006 को जारी अधिसूचना सं. एस.ओ.61(ई) में सूचीबद्ध पदार्थों के खनन के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है ।			(i)तकनीकी अंतरण के साथ उत्कृष्टता संबंधी सुविधाएं भारत के भीतर लगायी गयी हैं । (ii) खनिजों की सप ?ायी के दौरान निकलने वाले कूड़े-करकट का निपटान परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित विनियम जैसे कि परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली 2004, परमाणु ऊर्जा(रेडियो धर्मिता कूड़े का सुरक्षित निपटान) नियमावली 1987के अनुरूप किया जायेगा ।
	विनिर्माण			
6.	एल्कोहल और डिस्टीलेशन तथा मद्यनिर्माण	100%	स्वत:अनुमोदित मार्ग	उपयुक्त प्राधिकरण से लाइसेस प्राप्त करके
7.	सिगार्स और सिगरेट-निर्माण	100%	एफआईपीबी	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके
8.	कॉफी और रबड़ प्रसंस्करण तथा भंडारण	100%	स्वत:अनुमोदित मार्ग	--
9.	प्रतिरक्षा उत्पादन	26%	एफआईपीबी	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और आर्म्स एंड एम्युनिशंस उत्पादन के लिए दिशा-निर्देशों के अधीन औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके
10.	खतरनाक रसायन जैसे कि हाइड्रोसाइनिक एसिड और इसके व्युत्पन्न , फास्जीन और उसके व्युत्पन्न , आइसोसाइनेट और हाइड्रोकार्बन के डाई-आइसोसानेट	100%	स्वत:अनुमोदित मार्ग	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और अन्य क्षेत्रीय विनियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके
11.	औद्योगिक विष्फोटक - निर्माण	100%	स्वत:अनुमोदित मार्ग	उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 और विष्फोटक अधिनियम , 1898 के अधीन निर्मित विनियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके
	पॉवर			

12	पॉवर में विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) , प्रसारण, वितरण और विद्युत व्यापार शामिल हैं ।	100%	स्वत:अनुमोदित मार्ग	विद्युत अधिनियम , 2003 के प्रावधानों के अधीन (www.powermin.nic.in)
	सेवाएं			
	नागरिक विमानन क्षेत्र			
13.	**हवाई अड्डे**			
(क)	**ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट**	100%	स्वत:अनुमोदित मार्ग	नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के अधीन (www.civilaviation.nic.in)
(ख)	**वर्तमान प्रोजेक्ट**	100%	74% से अधिक के लिए एफआईपीबी	नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के अधीन (www.civilaviation.nic.in)
14.	**वायु परिवहन सेवाओं में स्वदेशी अनुसूचित यात्री एयरलाइंस, गैर-अनुसूचित स्वदेशी यात्री एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइंस, कारगो एयरलाइंस, तथा सीप्लेन सर्विसेज**			
(क)	अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं / स्वदेशी अनुसूचित यात्री एयरलाइंस	अनिवासी भारतीयों के लिए 100% अन्य के लिए 49%	स्वत: अनुमोदित	विदेशी एयरलाइंस और क्षेत्रीय विनियमों के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ईक्विटी सहभागिता की अनुमति नहीं है।
(ख)	गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं / गैर-अनुसूचित एयरलाइंस, चार्टर्ड एयरलाइंस और कारगो एयरलाइंस,	अनिवासी भारतीयों के लिए 100% अन्य के लिए 74%	स्वत: अनुमोदित	विदेशी एयरलाइंस की गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं और चार्टर्ड एयरलाइंस द्वारा किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ईक्विटी सहभागिता की अनुमति नहीं है।कारगो एयरलाइंस संचालित करने वाली विदेशी एयरलाइंस को इक्विटी कंपनियों में सहभागिता की अनुमति है । क्षेत्रीय विनियम भी लागू हैं ।
(ग)	डीजीसीए की का अनुमोदन अपेक्षित हेलीकॉप्टर सर्विसेज / सीप्लेन सर्विसेज	100%	स्वत: अनुमोदित	हेलीकॉप्टर सर्विसेज / सीप्लेन सर्विसेज संचालित करने वाली विदेशी एयरलाइंस को इक्विटी कंपनियों में सहभागिता की अनुमति है । क्षेत्रीय विनियम भी लागू हैं ।
15.	**नागरिक विमानन क्षेत्र की अन्य सेवाएं**			
(क)	ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज	अनिवासी भारतीयों के लिए 100% अन्य के लिए 74%	स्वत: अनुमोदित	क्षेत्रीय विनियमों और सुरक्षा निकासी के अधीन हैं ।
(ख)	रखरखाव और मरम्मत	100%	स्वत: अनुमोदित	--

	संगठन ; संस्थागत उड्डयन प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं			
16.	**परिसंपत्ति पुर्नसंरचना कंपनियां**	49%(केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशको के लिए)	एफआईपीबी	जहाँ किसी व्यक्ति के निवेश इक्विटी के 10% से बढ़ जाता है तो वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 प्रवर्तन की धारा 3(3) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाये ।
17.	**बैंकिंग- निजी क्षेत्र**	74% (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश) इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों के निवेश 49% से अधिक नहीं ।	स्वत: अनुमोदित	**भारतीय रिजर्व बैंक** विदेशी बैंकों की शाखाएं/ उनकी सहायक संस्थाएं खोलने के जारी दिशा-निर्देशों के अधीन (www.rbi.org.in)
18.	**प्रसारण**			
(क)	एफएम रेडियो	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश - 20% तक निवेश	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अधीन (www.mib.nic.in)
(ख)	केबल नेटवर्क	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत - 49%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित केबल टेलिविजन नेटवर्क नियमावली (1994) के अधीन (www.mib.nic.in)
(ग)	डाइरेक्ट -टु -होम	49% - (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश) इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों के निवेश का हिस्सा 20% से अधिक नहीं ।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार (www.mib.nic.in)
(घ)	धातु सामग्री सुविधाएं जैसे कि अप-लिंकिंग, हब आदि स्थापित करना ।	49% - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अप-लिंकिंग पॉलिसी के अनुसार (www.mib.nic.in)
(ङ)	समाचार और सामयिक विषयों ,टीवी. चैनेल्स की अप-लिंकिंग	26% - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश +विदेशी संस्थागत निवेश।	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार (www.mib.nic.in)

(च)	गैर समाचार और सामयिक विषयों ,टीवी. चैनेल्स की अप-लिंकिंग	100%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार (www.mib.nic.in)
19.	**पण्य विनिमय**	49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-26% विदेशी संस्थागत निवेश-23%	एफआईपीबी	विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदें सेकेंडरी मार्केट तक ही सीमित रहेंगी । संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत
20	विनिर्माण विकास परियोजनाएं- इसमें आवास,व्यावसायिक परिसर,रिसार्ट, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं तथा शहर और क्षेत्रीय बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं । पाद टिप्पणी : स्थावर संपदा के क्षेत्र में विदेशी संस्थागत निवेश की अनुमति नहीं है ।	100%	स्वत: अनुमोदित	निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) द्वारा अधिसूचित शर्तों के अधीन (i)पूर्ण स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के मामले में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर और भारतीय साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यमों के मामले में 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का न्यूनतम पूंजीकरण । (ii) सर्विस्ड़ हाउसिंग प्लाट के विकास के मामले में - 10 हेक्टेयर ; और विनिर्माण - विकास परियोजना के मामले में - 50,000 वर्ग मीटर **[टिप्पणी 1: अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे उल्लिखित शर्तें लागू नहीं हैं।** **टिप्पणी 2:** विशेष आर्थिक क्षेत्र , होटेल और अस्पताल में निवेश के लिए **प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे उल्लिखित शर्तें लागू नहीं हैं।** ⁚
21	पैकेज, पार्सेल्स और अन्य वस्तुएं जो कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के दायरे में नहीं आती है के लिए कुरियर सेवाएं	100%	एफआईपीबी	वर्तमान कानून और पत्रों के वितरण संबंधी उन कार्य कलापों को छोड़कर जो कि विशेष रूप से राज्य सरकार के लिए सुरक्षित हैं ।(www.indiapost.gov.in)

22.	**प्रतिभूति बाजार में वित्तीय बुनियादी ढाँचा** स्टॉक एक्स्चेंज, नुक्षेपागार और समाशोधन निगम	49% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-26% विदेशी संस्थागत निवेश-23%	एफआईपीबी	विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदें सेकेंडरी कार्केट तक ही सीमित रहेंगी । संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत
23.	**क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियां**	49% (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश+विदेशी संस्थागत निवेश) इस सीमा के अंदर संस्थागत निवेशकों का निवेश 24% से अधिक न हो ।	एफआईपीबी	क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियों में विदेशी संस्थागत निवेश क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनीज (विनियमावली) ऐक्ट 2005 के अधीन संबंधित विनियामकों के द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत।
24.	औद्योगिक पार्क बनाने तथा बने पार्क दोनों के लिए	100%	स्वतः अनुमोदित	विनिर्माण विकास परियोजनाओं पर प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे उल्लिखित लागू शर्तें औद्योगिक पार्कों पर लागू नहीं होगी बशर्ते औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों । i यह कम से कम 10 यूनिट का और एक एकल यूनिट आबंटनीय क्षेत्रफल से 50%में फैला हो। ii औद्योगिक कार्यकलापों के लिए आबंटित किया जाने वाला क्षेत्र कुल आबंटित क्षेत्रफल का कम से कम 66%हो ।
25.	**बीमा**	26%	स्वतः अनुमोदित	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) से लाइसेंस के अधीन (www.irda.nic.in.)
26.	**बुनियादी /सेवा क्षेत्र (दूर संचार क्षेत्र को छोड़कर) में निवेश**	100%	एफआईपीबी	जहाँ पर .विदेशी निवेश की सेक्टोरल लिमिट निर्धारित है , निर्धारित कैप के लिए केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार का जा सकता है और विदेशी निवेश करने वाली किसी कंपनी में विदेशी निवेश इस कैप से अलग नही की जा सकती है

				बशर्ते कि ऐसी निवेश करने वाली ऐसी कंपनी का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49% से अधिक न हो और निवेश करने वाली ऐसी कंपनी का प्रबंध भारतीय स्वामियों के पास हो ।
27.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां			
i)	मर्चेंट बैंकिंग	100%	स्वतः अनुमोदित	**निधि आधारित एनबीएप ?सी के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड** **(क)** 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष निवेश के लिए 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपप्रं ?ट लाया जाए। यदि प्रत्यक्ष निवेश 51 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक हो, तो 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपप्रं ?ट लाया जाए । यदि प्रत्यक्ष निवेश 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक हो तो 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपप्रं ?ट लाया जाए और शेष 24 महीनों में । **(ख)** गैर-निधि आधारित एनबीएप ?सी कार्यकलापों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड- 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर । **(ग)** विदेशी निवेशक ?ारतीय कंपनियों के अपने इक्विटी के कम से कम 25% तक विनिवेश के अलावा 100% तक परिचालनात्मक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसी कंपनियां परिचालनात्मक कंपनियों की सख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर लाने के अधीन (अतिरिक्त पूंजी लाए बिना परिचालनात्मक कंपनियों की सख्या के प्रतिबंध को छोड़कर)
ii)	अइटरराइटिंग			
iii)	संवि ?ााग प्रबंध सेवा			
iv)	निवेश परामर्श सेवा			
v)	वित्तीय परामर्श			
vi)	स्टॉक-ब्रोकिंग			
vii)	परिसंपत्ति प्रबंध			
viii)	उद्यम पूंजी			
ix)	अभिरक्षण सेवा			
x)	पै ?क्टरिडग			
xi)	क्रेडिट निर्धारक एजेंसियां			
xii)	वित्तीय लीज़िंग तथा किराया खरीद			
xiii)	आवासीय वित्त			
xiv)	प ?ाणरेक्स ब्रोकिंग			
xv)	क्रेडिट कार्ड कारोबार			
xvi)	मुद्रा परिवर्तक कारोबार			
xvii)	माइक्रो क्रेडिट			

xviii)	ग्रामीण ऋण			घ) एनबीएफसी परिचालन के संयुक्त उद्यम जिनके 75 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश है उन्हें ?ाा अन्य एनबीएप?सी कार्यकलापों के लिए कंपनियां स्थापित करने की भी अनुमति होगी बशर्ते कि कंपनियां भी न्यूनतम पूँजी अंतर्वाह की शर्तों का अनुपालन करें। ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों का अनुपालन के अधीन ।
28.				
(क)	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र** रिप?ायनिंग (निजी क्षेत्र)	49% तक सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में 100% तक निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में	एफआईपीबी - सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में स्वतः अनुमोदित मार्ग -निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में	तेल बाजार सेक्टर में मौजूदा सेक्टोरल नीति और बिना विनिवेश अथवा सरकारी क्षेत्र की मौजूदा आंतरिक इक्विटी डाल्यूशन के बिना । (www.petroleum.nic.in)
(ख)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में मार्केटिंग के लिए इकांइया बनाने / उनमें निवेश/ वित्त पोषण, बुनियादी सुविधाएं लगाने सहित रिप?ायनिंग और मार्केट स्टडी के अतिरिक्त	100%	स्वतः अनुमोदित मार्ग	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी सेक्टोरल विनियम के अधीन । (www.petroleum.nic.in)
29.	**प्रिंट मीडिया**			
(क)	समाचार और सामयिक विषयों पर समाचारपत्र और आवधिक प्रकाशित करने वाली कंपनिया	26%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार (www.mib.nic.in)
(ख)	वैज्ञानिक पत्रिकाएं / विशेष विषय पर जर्नल /आवधिक प्रकाशित करने वाली कंपनिया	100%	एफआईपीबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार (www.mib.nic.in)
30.	**दूरसंचार**			
क.	बेसिक और सेलूलर, यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज/	74%(विदेशी प्रत्यक्ष	49% तक स्वतः अनुमोदित मार्ग	19 अप्रैल 2007 के प्रेस नोट 3(2007सिरीज) द्वारा

	लंबी दूरी वाले इंटरनेशनल वी- सेट , पब्लिक मोबाइल रेडियो टंक्ड सर्विसेज (पीएमआरटीएस) , ग्लोबल पर्सनल कम्यूनिकेशन में सेवाओं में और अन्य उत्कृष्ट दूरसंचार सर्विसेज	निवेश,विदेशी संस्थागत निवेश,भारतीय अनिवासी निवेश,एफसीसीबीएस , प्राधिकृत व्यापारी , जीडीआर , परिवर्तनीय अधिमान शेयर और ?ारतीय प्रवर्तकों/ विनिवेशक कंपनियों में पोर्टफोलियोविदेशी इक्विटी को शामिल करते हुए)	से 49% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एप ?आइपीबी द्वारा	अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार ।
ख.	आईएसपी के साथ गेटवे, रेडिओ पेजिंग और लंबाई में अथवा सिरे से सिरे तक बैंड चौड़ाई में	74%	49% तक स्वतः अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एप ?आइपीबी द्वारा	यह सेवाएं दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं के अधीन (www.dotindia.com)
ग.	क) गेटवे उपलब्ध न करानेवाले आईएसपी ख) डार्क प ?इबर उपलब्ध करानेवाले इनप्र ?ास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स , डक्ट, खुला स्थान और टॉवर की दाहिनी ओर (आईपी श्रेणी -I) ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल और वॉइस मेल	100%	49% तक स्वतः अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एप ?आईपीबी द्वारा	यदि ये कंपनियां दुनिया के अन्य देशों में भी सूचीबद्ध हैं तो वे 5 वर्ष में अपने ईक्विटी के 26 % तक जनता के पक्ष में निवेश करेंगी । यह सेवाएं दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं के भी अधीन (www.dotindia.com)
घ.	दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100%	स्वतः अनुमोदित मार्ग से	सेक्टोरल अपेक्षाओं के भी अधीन (www.dotindia.com)
31.	**व्यापार**			
क	कैश &कैरी थोक व्यापार	100%	स्वतः अनुमोदित मार्ग से	10 फरवरी 206 के प्रेस नोट 3(2006 सिरीज) द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में ट्रेडिंग के लिए अधिसूचित औद्योगिक नीति और प्रवर्तन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन ।:

ख	निर्यात के लिए ट्रेडिंग	100%	स्वतः अनुमोदित मार्ग से	--
ग	लघु उद्योग क्षेत्र के स्रोत से वस्तुओं का व्यापार	100%	एप ?आईपीबी द्वारा	--
घ	उन वस्तुओं की टेस्ट-मार्केटिंग जिनके उत्पादन के लिए कंपनी ने अनुमोदन प्राप्त किया है ।	100%	एप ?आईपीबी द्वारा	ऐसी वस्तुओं की टेस्ट मार्केटिंग जिसके लिए कंपनी को उत्पाद की अनुमति है बशर्ते कि ऐसी टेस्ट मार्केट सुविधा दो साल के अवधि की हो और उत्पादन सुविधाओं में निवेश का प्रारं ?ा टेस्ट मार्केटिंग के साथ किया हो
ङ	सिंल ब्रांड उत्पादन का खुदरा व्यापार	51%	एप ?आईपीबी द्वारा	--
32.	**सेटलाइट:स्थापना और परिचालन**	74%	एप ?आईपीबी द्वारा	अंतरिक्ष/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जारी सेक्टोरल दिशा-निर्देशों के अधीन (www.iso.org)
33.	विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुक्त व्यापार, इन क्षेत्रों को स्थापित करना और इनमें इकाइयां खोलना	100%	स्वतः अनुमोदित मार्ग से	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 और विदेश व्यापार नीति के अधीन (www.sezindia.nic.in.)

पाद-टिप्पणी : उपर्युक्त अनुबंध आ में उल्लिखित उपर्युक्त सभी क्षेत्र / कार्यकलाप भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी संबंधित प्रेस नोटों द्वारा नियंत्रित हैं ।

संलग्नक-ग

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अनुसार शेयर जारी करने हेतू प्रतिफल प्राप्त करनेवाली भारतीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट

(3 मई 2000 की आधिसूचना फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची ॐ 1 के पैरा 9(1)(ए) के अनुसार मांगी गयी रिपोर्ट कंपनी द्वारा अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी 1 बैंक के माध्यम से प्रतिफल की राशि की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार मे घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, भरा जाना है)

आयकर विभाग द्वारा इनवेस्टी कंपनी को आबंटित स्थायी खाता संख्या	

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)

.

1. भारतीय कंपनी का नाम
   कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

   फैक्स

   टेलिफोन

   इ-मेल

2. **विदेशी सहयोगी के ब्योरे**
   नाम

   पता

   देश

3	**निधी प्राप्त करने की तारीख**		
4	राशि	विदेशी मुद्रा में	रुपयों में

5 उल्लेख करें कि क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वतः स्वतः अनुमोदित मार्ग / सरकारी अनुमोदित मार्ग से अथवा सरकारी अनुमोदन के मार्ग के अनुमोदन मार्ग तहत अनुमत है ?

यदि सरकारी अनुमोदन है तो विवरण दें (एफआयपीबी अनुमोदन की संदर्भ सं. तथा दिनांक)

6 प्राधिकृत व्यापारी का नाम जिसके द्वारा प्रेषण प्राप्त किया गया

7 प्राधिकृत व्यापारी का पता

शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने हेतू उगाही गयी राशि की प्राप्ति के सबूत के तौर पे एफआयआर सी की प्रतिलिपि संलग्न की है

इनवेस्टी कंपनी का
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

प्राधिकृत व्यापारी का प्रधिकृत हस्ताक्षरी

मुहर

मुहर

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिये :

विप्रेषन प्राप्त करने हेतु अनन्य पहचान संख्या :

संलग्नक-घ

एफसी-जीपीआर

भाग-अ

(जब कभी कंपनी विदेशी निवेशकों को शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचरर्स जारी करती है तो उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से इस फार्म के साथ संलग्न बचनपत्र की मद संख्या 4 में उल्लिखित दस्तावेजो सहित रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, भरा जाना है।)

आयकर विभाग द्वारा आबंटित (PAN) पैन सं.													

शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचरर्स जारी करने की तारीख													

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	नाम	
	पता	
	राज्य	
	रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी को आबंटित पंजीकरण संख्या	
	मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है (जो लागू न हो उसे काट दें)	मौजूदा कंपनी / नई कंपनी है
	मौजूदा कंपनी के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।	
	टेलीफोन	
	फैक्स	
	ईद -मेल	

2.	मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का वर्णन	
	एनआइसी कूट	
	ङारियोजना का कार्यस्थल और उस जिले की एनआइसी कूट संख्या	
	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत	
	उल्लेख करें कि क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वत: अनुमोदित मार्ग से अथवा सरकारी अनुमोदन के मार्ग के तहत अनुमत है ?	
3.	**विदेशी सहयोगी के ब्योरे**	
	नाम	
	पता	
	देश	

	निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप(उल्लेख किया जाए कि वह 1. व्यक्ति 2. कंपनी 3. विदेशी संस्थागत निवेश 4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेश 5. विदेश ट्रस्ट 6. प्राइवेट इक्विटी फंड 7. पेंशन भविष्य निधि 8. सॉवरीन वेल्थ फंड 4 9. पार्टनरशिप/प्रोपाइटरशिप फर्म 10. वित्तीय संस्था 11. अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति 12. अन्य (कृपया स्पष्ट करें) समाविष्ट करने की तारीख --------------	

यदि एक से अधिक विदेशी निवेश/सहयोगी हैं तो मद सं. 3 और 4 के लिए अलग संलग्नक शामिल कीये जाये ।

4.	**जारी किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे**
क	**निर्गम का स्वरूप और तारीख**

	निर्गम का स्वरूप	निर्गम की तारीख	शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या
01	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/ एफपीओ		
02	अधिमान आबंटन/निजी स्थान नियोजन		
03	अधिकार		
04	बोनस		
05	बाह्य वाणिज्यिक उधार का परिवर्तन		
06	रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित)		

		07	विशेष सहायता प्राप्त (sez) इकाइयों द्वारा माल के आयात पर परिवर्तन			
		08	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं			
		09	शेयर स्वेप			
		10	अन्य (कृपया उल्लेख करें)			
			कुल			

ख	**जारी प्रतिभूतियों का स्वरूप**					
	ङातिभूति का स्वरूप	संख्या	परिपक्वता	अंकित मूल्य	निर्गम मूल्य प्रति शेयर	आवक राशि*
01	ईक्विटी					
02	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर					
03	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर					
04	अन्य(कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)					
	कुल					

i) निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।

ii) * अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी के परिवर्तन पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र ।

ग	**प्रीमियम का ब्रेक-अप**	**राशि**
	कंट्रोल प्रीमियम	
	गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	
	अन्य*	
	कुल	

कृपया स्वरूप लिखें

घ	निम्नलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयर जारी करने से **कुल आवक** (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) (i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रेषण (ii) _______ बैंक के पास अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में नामे (iii) अन्य समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी के पैरा 9(1)अ (i) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त (i) रिपोर्ट करने की तारीख	

ङ	**जारी किए गए शेयरों का उचित मूल्य का प्रकटीकरण**			
	हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक शेयर का बाज़ार मूल्य है*			
	हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य			

	है*			

***** शेयर के निर्गम से पहले*** ****(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शायें)***

5.	निर्गम के पश्चात शेयर धारिता का स्वरूप							
	निवेशक वर्ग		ईक्विटी			अधिमान शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर		
			शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%	शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%
क)	अनिवासी							
	01	व्यक्ति						
	02	विदेशी कंपनियां						
	03	विदेशी संस्थागत निवेशक						
	04	विदेशी जोखिम पूंजी निवेश						
	05	अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति						
	06	प्राइवेट इक्विटी फंड						
	07	पेंशन भविष्य निधि						
	08	सॉवरीन वेल्थ फंड 6						
	09	पार्टनरशिप/प्रोपाइटरशिप फर्म						
	10	वित्तीय संस्था						
	11	अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति						
	12	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)						
	उप-कुल							
ख)	निवासी							
	कुल							

4 और 6 एसडब्ल्यूएफ एक सरकारी निवेश माध्यम है जिसका विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों द्वारा निधीयन किया जाता है और जो विदेशी परिसंत्तियों का प्रबंधन करता है, जैसे की स्टाक्स, संपत्ति अथवा अन्य वित्तिय लिखते, जो मौद्रिक प्राधिकरणों के अधिकारिक प्रारक्षित निधियों से अलग होते हैं

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरी जानेवाली घोषणा
(जो लागू न हो , उसे काटकर प्रमाणित कर दें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि -

1. हम समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में यथानिर्दिष्ट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों की निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
2. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत सेक्टोरल कैप / सांविधिक सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

क) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार है (जनवरी 12, 2005 के 2005 सिरीज़ के प्रेस नोट 1 में अनुबद्ध निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है)।

अथवा

ख) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है का भारत में उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार नहीं है।

ग) हम लघु उद्योग इकाई नहीं हैं हैं।

अथवा

हम लघु उद्योग इकाई हैं तथा चुकता पूंजी की 25 प्रतिशत की निवेश सीमा का अनुसरण किया है/ अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं।

घ) अधिकार आधार पर अनिवासियों को मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी के विनियम 6 के प्रवधानों के अनुरूप शेयर जारी किए गए हैं ।

अथवा

ङ) जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।

अथवा

च) शेयर भारत में किसी कोर्ट द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अथवा उससे अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन और समामेलन की योजना अथवा विलयन न करके अथवा अन्य प्रकार से पुनर्निर्माण की योजना के तहत जारी किए गए हैं ।

अथवा

(छ) शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम से संबंधित शर्तें पूरी की गयी हैं।

3. शेयर -------------------- के एसआईए /एफआईपीबी अनुमोदन सख्या ------. के अनुसार जारी किए गए हैं (जो लागू न हो उसे काट के हस्ताक्षर करें)

4. हम इसके साथ 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची -1 के पैराग्राफ 9(1) के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं :-

(i) कंपनी के सचिव द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र ;
- (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है ।
- (ख) सरकारी अनुमोदन की सभी शर्तों , यदि कोई हों, का अनुपालन किया गया है ।
- (ग) इन विनियमों के तहत कंपनी शेयर जारी करने के लिए पात्र है ।
- (घ) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची -1 के पैराग्राफ 8 की अपेक्षानुसार शेयर जारी करने हेतु वसूल की गई राशि की प्राप्ति के सबूत के तौर पर कंपनी के पास भारत में सभी प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र हैं ।

(ii) सांविधिक/ सनदी लेखाकार से यह इंगित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को जारी शेयरों की कीमत कैसे भेजी जायेगी ।

5. शेयर / परिवर्तनीय बाँड्स आदि जारी करने के प्राप्त सभी विप्रेषणों की राशि की वसूली के लिए (ऊपर दिए गये ब्योरों के अनुसार) ,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित यू.आई.नंबर	आर														

(आवेदक का हस्ताक्षर)* : ________________________

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांक:
(*कंपनी के प्रबंध निदेश/निदेशक/सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

<u>निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा भरा जानेवाला प्रमाणपत्र :</u> 5

(मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(आ)(i) के अनुसार)

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1. कंपनी अधिनियम, 1956 के सभी अपेक्षाओ का अनुपालन किया गया है।
2. सरकारी अनुमोदन के शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन किया गया है।
3. इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।
4. कंपनी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौजूद हैं जो भारत में श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुरूप राशि की प्राप्ति का सबूत है।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)
(मुहर)

केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयोग के लिए

एफसी-जीपीआर का यूएनआइ नंबर	जी													

5. यदि कंपनी के पास पूर्ण कालिक कंपनी सचिव नहीं हो तो, वे व्यवसायी कंपनी से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाय ।

(दिनांक 30 मई 2008 के एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 44 के अनुबंध -I का भाग- आ)थ

एफसी-जीपीआर

भाग-आ

i) फार्म एफसी-जीपीआर का यह भाग निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8, तीसरी मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 को प्रस्तुत किया जाए (टेलीफोन 26571265, 26572513) फैक्स नंबर 26570848) ई-मेल survey@rbi.org.in प्रस्तुत किया जाना है। यह एक वार्षिक विवरणी है जो कि प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को प्रत्यक्ष/पोर्टफोलियो/ पुनः निवेशित अर्जनों/ अन्य के जरिये भारतीय कंपनियों में पिछले वर्षों के दौरान (अर्थात् भाग आ में 31 जुलाई 2007 तक दी गयी जानकारी पिछले वर्ष 31 मार्च 2007 तक किये गये निवेशों से संबंधित होगी) किये गये निवेशों से संबंधित होगी । रिपोर्ट किये जाने वाले ब्योरों में तुलनपत्र की तारीख को बकाया सभी विदेशी निवेश शामिल होंगे । कंपनी के प्रत्यक्ष/ पोर्टफोलियो दोनों ही समुद्रपारीय निवेशों के ब्योरे अलग से दर्शाये जायें । कृपया संकलन में मार्च के अंत की कीमतें/विनिमय दरें ही इस्तेमाल की जायें ।

आयकर विभाग द्वारा निवेशक कंपनी को आबंटित स्थायी खाता (PAN) पैन सं.

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	नाम	
	पता	
	राज्य	
	कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण सं.	
2.	संपर्की का नाम : टेलीफोन ईमेल : फैक्स वेबसाइट (यदि कोई है)	
3.	खाता बंद करने की तारीख	
4.	पहले प्रस्तुत सूचना के संबंध में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसके ब्योने (कंपनी/ कंपनी के नाम/ जगह, कार्यकलाप, आदि में परिवर्तन)	
5.	क्या कंपनी सूचीबद्ध अथवा गैर सूचीबद्ध है ?	सूचीबद्ध /गैर सूचीबद्ध है
5.1	यदि सूचीबद्ध , i)मार्च के अंत में प्रति शेयर मूल्य ii) पिछले लेखापरीक्षण की तारीख को प्रति शेयर निवल परिसंपत्ति मूल्य	
5.2	यदि गैर सूचीबद्ध है तो, पिछले लेखापरीक्षण की तारीख को प्रति शेयर निवल परिसंपत्ति मूल्य	
6.	**विदेशी प्रत्यक्ष निवेश**	

	राशि लाख रुपये में			
	भारत में विदेशी देयताएं*		**भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां##**	
	पिछले वर्ष मार्च के अंत में बकाया	चालू वर्ष मार्च के अंत में बकाया	पिछले वर्ष मार्च के अंत में बकाया	चालू वर्ष मार्च के अंत में बकाया

6.0 ईक्विटी पूंजी				
6.1 अन्य पूंजीग्				
6.2 वर्ष के दौरान विनिवेश				
6.3 वर्ष के दौरान रोके गए अर्जन +				
7. पोर्टफोलिया और अन्य निवेश [उपर्युक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत उल्लिखित से इतर बकाया निवेशों को यहां प्रस्तुत करें.				
राशि लाख रुपये में				
	भारत में विदेशी देयताएं*		**भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां##**	
	पिछले वर्ष मार्च के अंत में बकाया	चालू वर्ष मार्च के अंत में बकाया	पिछले वर्ष मार्च के अंत में बकाया	चालू वर्ष मार्च के अंत में बकाया
7.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां				
7.1 ऋण प्रतिभूतियां				
7.1.1 बाँड और नोट				
7.1.2 मुद्रा बाजार लिखत				
7.2 वर्ष के दौरान विनिवेश				
8. वित्तीय ब्युत्पन्न (नोशनल वैल्यु)				
9. अन्य निवेश				
9.1 व्यापार ऋण				
9.1.1 अल्पावधि				
9.1.2 दीर्घावधि				
9.2 ऋण	नीचे नोट@ देखें			
9.3 अन्य				
9.3.1 अल्पावधि				
9.3.2 दीर्घावधि				

\+ प्रतिधारीत अर्जनों (अवितरित लाभ) के लिये विदेशी देयताओं के तहत कृपया अनिवासी निवेशकों (प्रत्यक्ष निवेशकों) कि शेयर धारिता के अनूसार आनुपातिक राशि प्रस्तुत करें ं 1 इसी प्रकार, भारत से बाहर की विदेशी परिसंपत्तियों के तहत, आपकी कंपनी के प्रतिधारित अर्जन अनिवासी उद्यम में साधारण शेयरों की आपकी शेयर धारिता के अनुपात में हेंगे 1

@ जिस वित्तिय वर्ष के लिये विवरणी प्रस्तुत की जा रही है, उस वर्ष दौरान आपकी कंपनी द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या बतायें 1 "प्रत्यक्ष" के तहत आपकी कंपनी की पंजी पर के व्यक्तियों की संख्या बतायें, जब कि "अप्रत्यक्ष" के तहत वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा अन्यथा कार्यपर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या बताये 1

10. मार्च अंत में शेयरधारिता पैटर्न								
			ईक्विटी			अनिवार्यतया परिवर्तनीय अधिमान शेयर/ डिबेंचर		
निवेशक श्रेणी/निवेशक संस्था का स्वरूप			शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%	शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%
क)	**अनिवासी**							
	01	व्यक्ति						
	02	कंपनियां						
	03	विदेशी संस्थागत निवेशक						
	04	विदेशी जोखिम पूंजी निवेश						
	05	विदेशी ट्रस्ट						
	06	प्राइवेट ईक्विटी फंड						
	07	पेंशन/ भविष्य निधि						
	08	एसडब्ल्यू एफ						
	09	साझेदारी/ प्रोप्राइटरशिप फर्म						
	10	वित्तीय संस्थाएं						
	11	अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति						
	12.	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)						
	उप-कुल							
ख)	**कुल निवासी**							
11.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित व्यक्ति							
	डात्यक्ष रूप से							
	अप्रत्यक्ष रूप से							
	कुल							

(आवेदक का हस्ताक्षर)* : ________________________________

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांक:
(*कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

कृपया **अनिवासी निवेशकों (प्रत्यक्ष निवेशकों)** के, जिसकी रिपोर्टिंग की तारीख को **आपकी कंपनी** के सामान्य शेयरों के **10 प्रतिशत या उससे अधिक** की धारिता है, शेष निवेशों को प्रस्तुत करें।

कृपया देश के बाहर के अपने कुल निवेश प्रस्तुत करें जिसमें रिपोर्टिंग की तारीख को **आपकी कंपनी** अनिवासी भारतीय उद्यम के **10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक** के सामान्य शेयर की धारक है।

[ग] अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक और निवेशिती/ रिपोर्टिंग कंपनी के बीच अन्य पूंजीगत लेनदेनों में निम्नलिखित शामिल हैं

(i) समुद्रपारीय निवेशकों से अल्पावधि उधार, (ii) समुद्रपारीय निवेशकों से दीर्घावधि उधार, (iii) व्यापार ऋण, (iv) आपूर्तिकर्ता ऋण, (v) वित्तीय लीज़िंग, (vi) नियंत्रण प्रीमियम, (vii) शेयरों को शामिल नहीं करनेवाले मामलों में गैर-स्पर्धा शुल्क, (viii) तकनीकी अंतरण, संयंत्र और मशीनरी, गुडविल, कारोबार विकास और इसी प्रकार के प्रयोजनों के एवज में शेयरों का गैर-नकदी अधिग्रहण और (ix) वर्ष के दौरान अचल संपत्ति में किए गए निवेश।

[@] नोट : चूंकि आपकी कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के ब्योरे बाह्य वाणिज्यिक उधार विवरणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अलग से प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, आपकी कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य ऋणों के ब्योरों को भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भारत के बाहर पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम को आपकी कंपनी द्वारा दिए गए बाह्य ऋणों की' **भारत के बाहर विदेशी परिसंपत्तियां** ' के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जाए।

अनिवासी निवेशको के संद ?ाद में ग्राहक को जानने (के वाइ सी) का फार्म

निवेशक / प्रेषक का पंजीकृत नाम (यदि निवेशक एक व्यक्ति है ता व्यक्ति का नाम)	
पंजीकृत संख्या (यादे प्रेषक व्यक्ति है तो उसका अनन्य पहचान संख्या)	
पंजीकृत पता (यदि प्रेषक व्यक्ति है तो उसका स्थायी पता)	
प्रेषक के बैंक का नाम	
प्रेषक का बैंक खाता संख्या	
प्रेषक के साथ बैंकिंग रिश्तों की समय अवधि	

पासपोर्ट संख्या, सामाजिक सुरक्षा सं., या को अन्य अनन्य सं. जो कि प्रेषक की सदाशयी को प्रेषक के देश में प्रमाणित करता है 1

अनिवासीय निवेशक के समुद्रप्रारिय प्रेषक बैंक द्वारा दी गयी सारी जानकारी सही और यथार्थ है इसकी हम पुष्टी करते है 1

दिनांक :

स्थान :

मुहर :

(प्रेषण प्राप्त करनेवाली प्राधिकृत
व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर)

अनुबंध-9

फार्म एफसी-टीआरएस

निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा

शेयरों के अंतरण के बारे में घोषणा

(चार प्रतियों में प्राधिकृत व्यापारी शाखा को प्रस्तुत करें)

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्नक किए गए हैं (संलग्नक के पैरा 5 देखें)

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री के लिए

(i) विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा बादवाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज

(ii) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी के शेयरधारिता का स्वरूप

(iii) सनदी लेखाकार द्वारा शेयरों का उचित मूल्य दर्शाते हुए प्रमाणपत्र।

(iv) अगर बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में किया हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति।

(v) क्रेता से इस बात का आश्वासन पत्र कि वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर अधिगृहीत करने का पात्र है और वर्तमान सेक्टोरल सीमाओं और मूल्य निर्धारण दिशानिदेशों का पालन किया गया है।

(vi) विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते से इस बात का आश्वासन पत्र कि सेबी द्वारा निर्धारित एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाता सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज

(vii) अगर विक्रेता अनिवासी भारतीय/ समुद्रपारीय निगमित निकाय हो तो प्रत्यावर्तनीय/ गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा धारित शेयरों के सबूत के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां

(viii) आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से आपत्ति नहीं/ कर देय नहीं प्रमाणपत्र।

1 **कंपनी का नाम**

पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)

कार्यकलाप

एनआइसी कूट सं.

2 क्या स्वत:अनुमोदित मार्ग के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है ?

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत क्षेत्रीय सीमा

3 लेनदेन का स्वरूप

निवासी से अनिवासी को अंतरण

अनिवासी से निवासी को अंतरण

4 **क्रेता का नाम**

श्रेणी (कृपया उपयुक्त श्रेणी पर टिक करें)	व्यक्ति	कंपनी	विदेशी संस्थागत निवेशक	अन्य

कंपनी/विदेशी संस्थागत निवेशक, आदि के मामले में कृपया कंपनी का गठन अर्थात् लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी आदि, सूचित करें

निगमन की तारीख और स्थान

क्रेता का पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)

5 विक्रेता का नाम

श्रेणी (कृपया उपयुक्त श्रेणी पर टिक करें)	व्यक्ति	कंपनी	विदेशी संस्थागत निवेशक	अन्य (कृपया उल्लेख करें)

कंपनी/विदेशी संस्थागत निवेशक, आदि के मामले में कृपया कंपनी का गठन अर्थात् लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी आदि, सूचित करें

निगमन की तारीख और स्थान

क्रेता का पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)

6 पिछले रिज़र्व बैंक/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अनुमोदन के ब्योरे

7 अंतरण किए जानेवाले शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे

लेनदेन की तारीख	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	अंतरण के लिए समझौता किए गए मूल्य**	प्रतिफल राशि

8 **कंपनी में विदेशी निवेश**

	शेयरों की संख्या	प्रतिशत

अंतरण से पहले

अंतरण के बाद

9 **क्या शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है?**
अगर हां तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम
स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत
क्या शेयर असूचीबद्ध हैं?

मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कीमत*

सनदी लेखाकार के मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत
*/** सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र जोड़ा जाए

अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूं/ करते हैं कि :

(i)	ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे/ हमारी जानकारी तथा विश्वास में सत्य और सही है
(ii)	मैं/हम फेरा/फेमा विनियमावली के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयरों को धारित करता था/ करते थे
(iii)	मैं/हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत कंपनी के शेयर के अधिग्रहण के लिए पात्र हूं/हैं। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, में कार्यरत कंपनी के शेयरों से संबंधित अंतरण नहीं है।
(iv)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन सेक्टोरल सीमाओं का पालन किया गया है।

घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत

दिनांक :
प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर
टिप्पणी

निवासी से अनिवासी को शेयरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो

तथा

अनिवासी से निवासी को शेयरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र
यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है।
लेनदेन के लिए प्राप्ति/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिज़र्व बैंक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक :

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम

प्राधिकृत व्यापारी कूट

जीडीआर/एडीआर के निर्गम का प्रबंध करनेवाली भारतीय कंपनी द्वारा फाइल की जानेवाली विवरणी

[फार्म डी आर अनुसूची 1 का पैराग्राफ 4(2) देखें.

सूचना : इस फार्म को पूर्ण किया जाए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए।

1. कंपनी का नाम
2. पंजीकृत कार्यालय का पता
3. पत्राचार के लिए पता
4. वर्तमान कारोबार (उस कार्यकलाप का एनआइसी कूट दें जिसमें कंपनी मुख्य रूप से कार्यरत है)
5. जीडीआर/एडीआर उगाहने के प्रयोजन के ब्योरे। यदि निधियां समुद्रपारीय निवेश के लिए उपयोग की गई हों, तो उसके ब्योरे
6. विदेश के डिपाज़िटरी का नाम और पता
7. अग्रणी/ प्रबंधक निवेश/ मर्चेंट बैंकर का नाम और पता
8. निर्गम के उप-प्रबंधकों के नाम और पते
9. भारतीय अभिरक्षकों के नाम और पते
10. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के ब्योरे (अगर जीडीआर स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत जारी किए जाते हैं तो संबद्ध एनआइसी कूट कोट करें)
11. क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र क्षेत्रीय सीमा लागू है? अगर हां, तो कृपया ब्योरे दें
12. ईक्विटी पूंजी के ब्योरे — निर्गम से पहले | निर्गम के बाद
    - क) प्राधिकृत पूंजी
    - ख) निर्गमित तथा प्रदत्त पूंजी
        - i) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित
        - ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों/ अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ समुद्रपारीय निगमित निकायों से इतर विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक धारित करनेवाले विदेशी निवेशकों की सूची तथा उनमें प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रस्तुत किया जाए)
        - iii) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी कंपनी निकायों द्वारा धारित

iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित

ग) कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी का प्रतिशत

13. क्या निर्गम निजी व्यवस्था आधार पर था? अगर हां, तो निवेशकों तथा प्रत्येक को जारी एडीआर/ जीडीआर के ब्योरे दें

14. जारी जीडीआर/एडीआर की संख्या

15. जीडीआर/एडीआर पर अंडरलाइंग शेयरों का अनुपात

16. **<u>निर्गम से संबंधित खर्चे</u>**

(क) मर्चेंट बैंकरों/अग्रणी प्रबंधक को अदा की गई/ देय शुल्क

(i) राशि (अमरीकी डॉलर, आदि में)

(ii) कुल निर्गम के प्रतिशत के तौर पर राशि

(ख) अन्य खर्चे

17. क्या निधियां विदेश में रखी गई हैं? अगर हां, तो बैंक का नाम और पता

18. सूचीबद्ध करने की व्यवस्था के ब्योरे
स्टॉक एक्सचेंज का नाम
ट्रेडिंग शुरू करने की तारीख

19. एडीआर/जीडीआर निर्गम आरंभ करने की तारीख

20. उगाही गई राशि (अमरीकी डॉलर में)

21. प्रत्यावर्तित राशि (अमरीकी डॉलर में)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है।

ह./-	ह./-
सनदी लेखाकार	कंपनी केध प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अनुबंध -12

तिमाही विवरणी

[अनुसूची 1 का पैराग्राफ 4(3) देखेंफ़ार्म डीआर तिमाही
(भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए)

1. *कंपनी का नाम*
2. *पता*
3. *जीडीआर/एडीआर निर्गम प्रारंभ करने की तारीख*
4. *जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल सं.*
5. *उगाही गई कुल राशि*
6. *तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज*
7. *निर्गम के खर्चे और कमीशन आदि*
8. *प्रत्यावर्तित राशि*
9. *विदेश में रखी गई शेष - ब्योरे*
   (i) *बैंक जमा राशियां*
   (ii) *खजाना बिल*
   (iii) *अन्य (कृपया उल्लेख करें)*
10. *अब तक बकाया जीडीआर की संख्या*
11. *तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर की कीमत*
12. *तिमाही के अंत में समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई जीडीआर की कीमत*

प्रमाणित किया जाता है कि एडीआर/जीडीआर द्वारा उगाही गई निधियों को स्टॉक बाज़ार अथवा भूमि भवन में निवेश नहीं किया गया हैं।

ह./-	*ह./-*
सनदी लेखाकार	*कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी*